



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255846
CG-DL-E-29072024-255846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2837]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2837]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2978(अ).—चूंकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3447 (ई) दिनांक 08 अक्टूबर 2013 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 127.00 (पटना-गया-डोभी खंड) तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (पुराना एनएच 83) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 127.217 (मौजूदा किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 127.000) तक पटना-गया-डोभी खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 66.053 किलोमीटर तथा 24.830 किलोमीटर (जिनकी कुल लंबाई 2.483 किलोमीटर है) कुल लंबाई की समकक्ष बुनियादी ढांचा (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर और बाईपास जिनकी लंबाई 58.681 किलोमीटर है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर आधार दर के 150% की दर से शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

1. नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा:-

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के देवकुली गांव में डिज़ाइन किलोमीटर 52.662 (मौजूदा किलोमीटर 52.662) पर	28.552 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर)	चार या अधिक लेन हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
बिहार राज्य में गया जिले के जिंदापुर गांव में डिज़ाइन किलोमीटर 111.145 (मौजूदा चेनेज 111.145) पर	37.501 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर)	चार या अधिक लेन हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय और भुगतान योग्य होगा:-

तालिका - 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	बाईपास का नाम	आरंभ होते हुए	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लम्बाई (किलोमीटर में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के	पटना बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर	डिज़ाइन किलोमीटर	7.162	119.18	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में

देवकुली गांव में डिज़ाइन किलोमीटर 52.662 (मौजूदा किलोमीटर 52.662) पर		0.000	7.250			उल्लिखित आधार दरों का 150%
	पोथी बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर 13.261	डिज़ाइन किलोमीटर 15.523	2.262	37.61	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	नीमा/नदवान बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर 17.622	डिज़ाइन किलोमीटर 20.528	2.867	47.59	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	मसौढ़ी बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर 22.230	डिज़ाइन किलोमीटर 26.730	4.500	74.88	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	जहानाबाद बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर 39.000	डिज़ाइन किलोमीटर 47.900	8.688	93.37	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	टेहटा बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर 54.610	डिज़ाइन किलोमीटर 57.050	2.440	27.52	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	मखदुमपुर बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर 57.980	डिज़ाइन किलोमीटर 62.750	4.615	52.05	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
बिहार राज्य में गया जिले के जिंदापुर गांव में डिज़ाइन किलोमीटर 111.145 (मौजूदा चेनेज 111.145) पर	बेलागंज बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर 71.675	डिज़ाइन किलोमीटर 73.900	2.225	23.69	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	गया बाईपास	डिज़ाइन किलोमीटर 83.000	डिज़ाइन किलोमीटर 107.671	23.922	259.46	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई* (किलोमीटर में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है

बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के देवकुली गांव में डिज़ाइन किलोमीटर 52.662 (मौजूदा किलोमीटर 52.662) पर	1.664 [^]	16.640	चार या अधिक लेन हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
बिहार राज्य में गया जिले के जिंदापुर गांव में डिज़ाइन किलोमीटर 111.145 (मौजूदा चेनेज 111.145) पर	0.819 ^{^^}	8.190	चार या अधिक लेन हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] विवरण निम्नानुसार है;

	(जरीब-दूरी)		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (किलोमीटर)
	किलोमीटर से	किलोमीटर तक		
1	4.411	4.499	आरओबी -1	0.088
2	7.586	7.720	बड़ा पुल	0.134
3	9.153	9.367	बड़ा पुल	0.214
4	9.662	9.818	बड़ा पुल	0.156
5	12.046	12.150	आरओबी -2	0.104
6	15.975	16.131	बड़ा पुल	0.156
7	16.556	16.631	बड़ा पुल	0.075
8	16.910	17.183	बड़ा पुल	0.273
9	17.564	17.661	बड़ा पुल	0.097
10	39.940	40.036	आरओबी -3	0.096
11	45.077	45.193	बड़ा पुल	0.116
12	61.974	62.045	बड़ा पुल	0.071
13	62.459	62.543	बड़ा पुल	0.084

^{^^} विवरण निम्नानुसार है;

	(जरीब-दूरी)		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (किलोमीटर)
	किलोमीटर से	किलोमीटर तक		
1	92.644	93.324	आरओबी-4 और 5 (वायाडक्ट सहित)	0.68
2	96.505	96.574	बड़ा पुल	0.069
3	107.965	108.035	फ्लाईओवर	0.07

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए मासिक पास की दर 340.00/- रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

तालिका-5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 4836.46 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/23-24/शुल्क अधिसूचना/पटना-गया-डोभी खंड
(किलोमीटर 0.000 से 127.217)/ई-236038]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2978(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3447 (E), dated the 08th October 2013 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometre 0.00 to Kilometre 127.00 (Patna-Gaya-Dobhi section) of National Highway Number 83 in the State of Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 66.053 Kilometre and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 24.830 Kilometre(having length of 2.483 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 58.681 Kilometre costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane of Patna-Gaya-Dobhi section from design kilometer 0.000 to kilometer 127.217 (existing Kilometre 0.000 to Kilometre 127.000) of National Highway number 22(Old NH 83) in the State of Bihar and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Kilometre for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Kilometre 52.662 (Existing km 52.662) at Devkuli Village of Jehanabad District in Bihar State.	28.552 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 111.145 (Existing chainage 111.145) at Jindapur Village of Gaya District in Bihar State.	37.501 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Kilometre 52.662 (Existing km 52.662) at Devkuli Village of Jehanabad District in Bihar State.	Patna Bypass	Design Kilometre 0.000	Design Kilometre 7.250	7.162	119.18	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Pothi Bypass	Design Kilometre 13.261	Design Kilometre 15.523	2.262	37.61	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Neema/Nadwan Bypass	Design Kilometre 17.622	Design Kilometre 20.528	2.867	47.59	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Masaurhi Bypass	Design Kilometre 22.230	Design Kilometre 26.730	4.500	74.88	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Jehanabad Bypass	Design Kilometre 39.000	Design Kilometre 47.900	8.688	93.37	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Tehta Bypass	Design Kilometre 54.610	Design Kilometre 57.050	2.440	27.52	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Makhdumpur Bypass	Design Kilometre 57.980	Design Kilometre 62.750	4.615	52.05	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 111.145 (Existing chainage 111.145) at Jindapur Village of Gaya District in Bihar State.	Belaganj Bypass	Design Kilometre 71.675	Design Kilometre 73.900	2.225	23.69	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Gaya Bypass	Design Kilometre 83.000	Design Kilometre 107.671	23.922	259.46	150 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures [^] (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Kilometre 52.662 (Existing km 52.662) at Devkuli Village of Jehanabad District in Bihar State.	1.664 [^]	16.640	100 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 111.145 (Existing chainage 111.145) at Jindapur Village of Gaya District in Bihar State.	0.819 ^{^^}	8.190	100 % for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in Kilometre)
	From Kilometre	To Kilometre		
1	4.411	4.499	ROB-1	0.088
2	7.586	7.720	Major Bridge	0.134
3	9.153	9.367	Major Bridge	0.214
4	9.662	9.818	Major Bridge	0.156
5	12.046	12.150	ROB-2	0.104
6	15.975	16.131	Major Bridge	0.156
7	16.556	16.631	Major Bridge	0.075
8	16.910	17.183	Major Bridge	0.273
9	17.564	17.661	Major Bridge	0.097
10	39.940	40.036	ROB-3	0.096
11	45.077	45.193	Major Bridge	0.116
12	61.974	62.045	Major Bridge	0.071
13	62.459	62.543	Major Bridge	0.084

^^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in Kilometre)
	From Kilometre	To Kilometre		
1	92.644	93.324	ROB-4 &5 (Including viaduct)	0.68
2	96.505	96.574	Major Bridge	0.069
3	107.965	108.035	Flyover	0.07

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 340.000 (Rupees Three Hundred and Forty Only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 4836.46 crore. The capital cost is subjected to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/13013/CO/23-24/FeeNotification/Patna-Gaya-DobhiSection(km0.000to127.217)/E-236038]

SUMAN PRASAD SINGH, Joint Secy.